<u>नेशनल लोक अदालत दिनांक 13.12.2025</u>

<u>खण्डपीठ क्रमांक–04, भाटापारा (छ०ग०)</u>

<u>(पीठासीन अधिकारी–अंकिता अग्रवाल)</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक– 1074/2022

छ०ग० राज्य विरुद्ध संजय गेंडरे वगैरह

13.12.2025 अभियुक्तगण श्रीमती प्रमिला गेंडरे, श्रीमती भगवती गेंडरे सहित अधिवक्ता श्री लोचन सोनवानी उपस्थित।

अभियुक्त संजय गेंडरे मृत।

प्रार्थिया शीतल गेंडरे उपस्थित।

प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत है ।

प्रार्थिया ने एक राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इस प्रकरण मे उभय पक्ष के बीच आपस में राजीनामा हो गया है। अतः अभियुक्तगण को इस प्रकरण से दोषमुक्त किया जावे।

प्रकरण पर विचार किया गया।

अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 294, 506(भाग–02), 323 भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा 34** का आरोप है। उक्त धारा का आरोप शमन योग्य है। प्रार्थिया/आहत पीडित व्यक्ति होने के कारण राजीनामा करने के लिए समक्ष है। समझौता लोकहित विरूद्ध नही है। उभयपक्ष ने आपस मे विवाद समाप्त कर राजीनामा पेश किया है । **धारा 294, 506(भाग–02), 323 भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा 34** का अपराध शमन योग्य है। प्रस्तुत आवेदन आहतगण ने बिना किसी दबाव के स्वेच्छा पेश किया है, जो कि विधि के अनुकूल है। अतः राजीनामा तस्दीक

कर स्वीकार किया गया।

अभियुक्तगण श्रीमती प्रमिला गेंडरे, श्रीमती भगवती गेंडरे को राजीनामा के आधार पर **धारा 294, 506(भाग–02), 323 भारतीय दण्ड संहिता सहपठित धारा** 34 के आरोप को शमन करते हुऐ **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 01 नग पत्थर को मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।

प्रकरण समाप्त।

अभिलेख नस्तीबद्ध कर अभिलेख जमा हेतु अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–
सदस्य
श्री सुरेश कुमार

सही/–
(अंकिता अग्रवाल)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
खण्ड पीठ क्रमांक 04
भाटापारा (छ०ग०)